

पूर्जु ऋषामी श्री श्रीरामशरणजी महाराज (पूर्व नाम श्री कबीरेयालालजी द्वारा) द्वारा 1950 में स्थापित एवं पोषित



## बुनियादी उच्च माध्यमिक विद्यालय

गाँधी विद्या मन्दिर, सरदारशहर-331401 (चूल) राजस्थान

फोन : विद्यालय 220277, NIOS 222535, छात्रावास 224304



क्रम संख्या - 782

### प्रवेश प्रार्थना-पत्र

आवेदन पत्र जमा कराने की  
दिनांक.....

ह० प्रभारी

छात्र प्रवेश रजिस्टर संख्या

आदेश संस्था प्रधान

प्रवेश दिया जाये/नहीं दिया जाये

ह० प्रधानाचार्य

सेवामें,

संस्था प्रधान महोदय,

(जो लागू न हों उसे काट दें)

.मैं अपने पुत्र ..... को विद्यालय की कक्षा.....

संकाय ..... में प्रवेश दिलाना चाहता हूँ। जिसका विवरण इस प्रकार है :-

- (1) छात्र का नाम.....
- (2) पिता का नाम..... व्यवसाय..... वार्षिक आय..... आयकर दाता है/नहीं
- (3) माता का नाम..... व्यवसाय..... वार्षिक आय..... आयकर दाता है/नहीं
- (4) जन्म तिथि (अंकों में)..... (शब्दों में).....
- (5) जाति..... धर्म..... श्रेणी.....
- (6) पत्र व्यवहार के लिए स्थायी पता..... दूरभाष नं. (मर्य कोड).....
- (7) स्थानीय संरक्षक का नाम व पता..... दूरभाष नं. (मर्य कोड).....
- (8) छात्र के पूर्व अध्ययन का विवरण :-

उत्तीर्ण कक्षा	वर्ष	विद्यालय व बोर्ड का नाम	पूर्णपरीक्षा के पूर्णांक	प्राप्तांक	श्रेणी	प्रतिशत

(9) छात्र किस कक्षा व संकाय में प्रवेश चाहता है ? विवरण दें :-

कक्षा जिसमें प्रवेश लेना है	संकाय	ऐच्छिक विषय	तृतीय भाषा	उद्योग व अन्य

(10) क्या छात्र छात्रावास में रहेगा ? हाँ/नहीं

(11) यदि छात्र की पूर्व में कोई उपलब्धि हो तो विवरण दें :-

(12) छात्र विद्यालय की निम्न प्रवृत्तियों में से किस-किस में भाग लेगा ?

(क) एन. सी. सी.

(ख) स्काउटिंग

(ग) खेल-कूद

(घ) साहित्यिक प्रवृत्तियाँ

(इ) सांस्कृतिक कार्यक्रम

(च) रचनात्मक कार्यक्रम

## कार्यालय अधिनियम 1929 का अभिभावक-घोषणा-पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि अधोलिखित विवरण सत्य है और संस्था के अग्रलिखित नियमों का पालन स्वीकार करता हूँ।

- (1) छात्र को शाला में प्रतिदिन उपस्थित रहना होगा, बिना किसी सूचना के तीन दिन अनुपस्थित रहता है तो छात्र का नाम शाला से पृथक किया जा सकता है।
- (2) छात्र का व्यवहार व चरित्र विधि सम्मत नहीं पाया जाता है तो बिना किसी सूचना के छात्र को शाला परिवार से पृथक कर दिया जायेगा।
- (3) छात्र द्वारा शाला की सम्पत्ति को क्षति पहुँचायी जाती है तो इस दशा में अनुशासनात्मक कार्यवाही के अतिरिक्त हर्जाना भी देय होगा।
- (4) समय-समय पर विद्यालय द्वारा अभिभावक को बुलाने पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा। माह में एक बार छात्र की प्रगति की जानकारी हेतु सम्पर्क अवश्य करें।
- (5) छात्र को शाला की निर्धारित गणवेश में आना होगा।
- (6) शाला शुल्क में जो भी परिवर्तन एवं संशोधन होगा वह मुझे मान्य होगा।
- (7) छात्र द्वारा शालानुशासन भंग करने की दशा में समस्त निर्णय संस्था प्रधान के अधिकार में होंगे, एवं मान्य होंगे।
- (8) शाला की अतिरिक्त कक्षाओं (सुबह या शाम) में छात्र को अनिवार्य रूप से भेजता रहूँगा।

इसके अतिरिक्त संस्था के नियमों व उपनियमों एवं बालक के विकास हेतु लिए गए निर्णयों का पालन करता रहूँगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि घर पर बालक के लिए योग्य वातावरण तैयार कर उसके विकास में सहभागी बनूँगा।

स्थान.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर पिता/संरक्षक

### बाल विवाह शपथ-पत्र

मैं.....	जाति.....	निवासी.....
आयु.....	घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि मैं अपने पुत्र / पुत्री	
जन्म तिथि.....	जिसे आपके विद्यालय में कक्षा.....	मैं प्रवेश दिलवाना चाहता हूँ / चाहती हूँ।
मेरा / मेरी यह पुत्र / पुत्री अविवाहित है तथा मैं इस पुत्र/पुत्री का विवाह बालिग होने से पूर्व नहीं करूँगा / करूँगी तथा बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 1929 की पालना भी करूँगा / करूँगी।		शपथ गृहिता

पिता/माता/वैद्य संरक्षक

छात्र.....	को कक्षा.....	संकाय.....
अध्यापकों को प्रेषित :-		मैं प्रवेश हेतु योग्यता जाँच हेतु सम्बन्धित

दिनांक.....	हस्ताक्षर प्रधानाचार्य
-------------	------------------------

### योग्यता जाँच के सन्दर्भ में प्रवेश समिति की रिपोर्ट

छात्र का नाम व प्रवेश कक्षा	जाँच समिति के अध्यापकों का नाम	जाँच बिन्दु	जाँच परिणाम (रिपोर्ट)	योग्य/अयोग्य

कार्यालय, उपर्युक्त जाँच के आधार पर छात्र को कक्षा..... संकाय..... वर्ग..... में प्रविष्ट कर लिया जावे।

हस्ताक्षर प्रधानाचार्य